



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटीएस केम्पस के पास, झालाना लिंक रोड,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (फोन एवं फ़ैक्स नं. 0141-2719136)
क्रमांक प 6 () रा.सू.आ./विज्ञापन/2019 3051-55 दिनांक:- 28/12/2019

सेवामें,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
जयपुर।

विषय :- आयोग की विज्ञापित समाचार पत्रों के अगले अंक में प्रकाशित कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संलग्न विज्ञापन राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर (जयपुर संस्करण) के अगले अंक में न्यूनतम साईज में छपवाने की व्यवस्था करावें। प्रकाशन के पश्चात विज्ञापन का बिल राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर आयोग को भिजवाएं।

संलग्न :- विज्ञापित की 7 प्रतियां

(राधे प्रताप सिंह)

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रोग्रामर, राजस्थान राज्य सूचना आयोग को विज्ञापन आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
2. केशियर
3. गार्ड पत्रावली
4. नोटिस बोर्ड

सचिव



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ0टी0एस0 परिसर के पीछे, झालाना लिंक रोड़, जयपुर-302 017
(फोन एवं फैक्स नं. 0141-2719136)

क्रमांक:-प.6()रा.सू.आ./संस्था./सलाहकार/2019/ 3051-55

दिनांक 20/12/2019

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

राजस्थान राज्य सूचना आयोग सलाहकारी सेवाओं हेतु परामर्शदाताओं/कन्सलटेन्ट के सूचीकरण हेतु केन्द्र/राज्य सरकार, लोक उपक्रम/निगम, न्यायालयों राजकीय संस्थानों, रेगुलेटरी कमीशन, ट्रिब्यूनल, आयोग व अन्य इसी तरह के संस्थानों से सेवनिवृत अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करता है जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो तथा जिनके पास न्यूनतम 3 वर्ष का सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का अनुभव हों।

इच्छुक व्यक्ति दिनांक 23.12.2020 तक सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर को सादा पेपर पर अपनी प्रोफाईल अंकित करते हुए आवेदन कर सकता है।

सलाहकारों द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण व वांछित योग्यता (परिशिष्ट-I) व अन्य शर्त (परिशिष्ट-II) आदि आयोग की वेबसाईट www.ric-rajasthan.gov.in पद एवं पोर्टल पर उपलब्ध है।

(राधे प्रताप सिंह)

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर


सलाहकार की नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता, अनुभव व उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण :-

सलाहकार

1. आवश्यक योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
2. वांछित योग्यता : विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध, प्रशासन और संचालन में व्यापक जानकारी।
3. अनुभव : केन्द्र/राज्य सरकार, लोक उपक्रम/निगम, न्यायालयों, राजकीय संस्थानों, रेगुलेटरी कमीशन, ट्रिब्यूनल, आयोग व अन्य इसी तरह के संस्थानों से सेवानिवृत्त अधिकारी जिन्हें न्यूनतम पांच वर्ष का सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के क्रियान्वयन का कार्य अनुभव हो। जिन आवेदकों को राज्य सूचना अधिकारी (SPIO) के कार्य का अनुभव होगा उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

सलाहकार द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण :

1. कोर्ट में सुनवाई हेतु लगे अपील/परिवाद की केस समरी तैयार करना।
2. विधिक बिन्दुओं की पहचान करना।
3. अपील प्रकरणों में न्यायालयों/आयोगों के पूर्व निर्णयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकरणानुसार लागू होने की संभावना व समीचीनता की समीक्षा/व्याख्या करना।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केन्द्रीय सूचना आयोग व देश के अन्य राज्य सूचना आयोगों द्वारा पारित निर्णयों का परीक्षण व अनुसंधान करना।
5. ऑन-लाईन पोर्टल क्रियान्विती में सहयोग करना।
6. अन्य कार्य जो मुख्य सूचना आयुक्त /सूचना आयुक्त /आयोग द्वारा सौंपे जावें।



सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

Terms & Conditions of Consultant

1. Services

- (i) Preparation of case summary before the Chief Information Commissioner/Information commissioners.
- (ii) Identification of legal issues for adjudication.
- (iii) Legal appreciation of other laws/Acts that have bearing on the case.
- (iv) Legal research for precedents of Hon'ble Supreme Court, High Courts and judgments of various State Information Commissions.
- (V) Helping in execution of online portal.
- (vi) Preparing counters for writ petitions.
- (vii) Any other work as assigned by the Chief Information Commissioner/Information Commissioners/Commission.

2. Payment

- (A) Rs. 25000/- (Twenty Five thousand) per month (Fixed).
- (B) The post is based in Jaipur. The consultant shall not be entitled to any allowances.
- (C) Consultant shall be eligible for 10 days leave in a calendar year on Pro-rata basis, if they engage up to one year otherwise proportionate leave will be allowed as per time period.
- (D) No TA/DA shall be admissible for Joining the assignment or on its completion.



3. Terms

The initial period of contract shall be for 3 months from the date of commencing the work and can be extended up to 6 months.

4. Ownership

Any studies report or other material, graphic, software or otherwise prepared by the consultant for the client under the contract shall belong to and remain the property of the client. The consultant shall not use such documents or software for purpose unrelated to this contract without the prior approval of the client.

5. Other terms and Condition

(A) The appointment of consultant would be on full time basis and they would not be permitted to take up any other assignment during the period of consultancy with RIC.

(B) The consultant shall not indulge in or disclose to any person, and details of office, operational process, technical knowhow and administrative/organizational matters which is of confidential/secret nature.

(C) The appointment of consultant is of a temporary (non-official) nature and the appointment can be cancelled at any time without assigning any reason on prior notice.

(D) RIC shall not be liable for any loss, damage, theft, burglary or robbery of any personal belonging/equipment or vehicles.

(E) The consultant shall not claim any benefit/compensation/absorption/regularization of services.

(F) The consultant may be called on Saturday, Sunday and other gazette holidays, if required for which he shall



not be paid any remuneration/honorarium. However. This will be adjusted against the absence period.

(G) If any declaration given or information furnished by the candidate proves to be false or if the candidate is found to have willfully suppressed any material information, he will be liable for termination in addition to any administrative and/or legal action as Government/ commission may deem fit.



Secretary

Rajasthan State Information Commission,
Jaipur